



ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

समृद्धि

खंड 1, अंक 2

सभी के लिए स्वच्छता

रोजगार की गारंटी, आजीविका
और आवास के बाद, अब
शौचालय बने बिहार के ग्रामीण
विकास का चौथा स्तंभ





समृद्धि

संपादकीय मंडल:

मिथिलेश कुमार,
संजय कृष्णा और कुमार सिद्धार्थ
समृद्धि, ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार सरकार, मुख्य सचिवालय,
पटना, बिहार, भारत – 800 015
की पत्रिका है।

<http://rdd.bih.nic.in>

हम इस समाचार पत्रिका को अपने विकास प्रयास सच्चे अर्थों में एक अंतः क्रियात्मक संचार मंच के रूप में आगे ले जाने के लिए आपके मूल्यवान सुझावों और टिप्पणियों का स्वागत करते हैं। हम पत्रों, प्रकरण अध्ययनों और सफलता कथाओं, समस्याओं के मुद्दों, समाचारों, अनुभवों, पिछले और भावी आयोजनों तथा घोषणाओं के रूप में आपके योगदानों के माध्यम से आपका समर्थन पाना चाहते हैं।

कृपया अपनी प्रतिक्रिया और योगदान हमें ksidharthrdd2011@gmail.com पर भेजें

संकलन, संपादन और अभिकल्पन:

मीडिया ट्रांसएशिया इण्डिया
लिमिटेड, गुडगांव



विषयवस्तु

संपादकीय	3
निर्मल ग्राम पंचायत सभी के लिए शौचालय	4
मनरेगा उत्कृष्ट उपलब्धियाँ लोगों का एक मिशन	6
औरंगाबाद: अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण ही उन्नति का पथ है	7
किशनगंज: स्थानीय जरूरतों के अनुसार किये गये कार्य	8
कैमूर: सड़क और तालाब एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहे हैं	10
अरवल: विकास का दूसरा चरण	11
भागीरथपुर: अप्रयुक्त भूमि उपजाऊ बनी	11
जमुई: जल सशक्तिकरण	12
इंदिरा आवास योजना स्वप्न-घर बने सच्चाई	14
जीविका (JEEViKA) आजीविका मिशन जो गहराई के साथ दूर तक जायेगा	16
कार्यशाला मीडिया को जागरूक बनाना	18
मनरेगा दिशा निर्देश पर राज्य स्तरीय कार्यशाला	19

संपादकीय

अंतिम तिमाही उन प्रेरणादायक प्रमुख कार्यक्रमों का था, जिनके द्वारा ऐसी घोषणाएँ हुई जिन्होंने बिहार को एक ऐसे भविष्य का वादा किया जो कि सबका होगा। एक ओर, जहाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, जीविका (JEEViKA) और इंदिरा आवास योजना ने अपनी पहुँच बढ़ाई, मुख्यमंत्री ने निर्मल भारत अभियान का जोरदार तरीके से समर्थन किया। समृद्धि का वर्तमान संस्करण इन सभी कार्यक्रमों पर नजर डालता है, जो बिहार के प्रत्येक 38 जिले को आवृत्त कर रहे हैं।



यह समाचार पत्र औरंगाबाद, किशनगंज, कैमूर, अरवल, समस्तीपुर और जमुई से मनरेगा की सर्वश्रेष्ठ प्रथाएँ आपके लिए लाता है। इन जिलों ने मनरेगा के माध्यम से उचित समाधानों, जैसे सिंचाई, वृक्षारोपण मुहिम, जल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के द्वारा अपने स्थानीय मुद्दों को सफलतापूर्वक संबोधित किया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की गई अन्य रोचक पहलों में इंदिरा आवास योजना शिविर शामिल थी, जो कि लोगों को समय पर किश्तें वितरित करने का मंच ही नहीं बनी, बल्कि ये प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने का एक रास्ता भी बनी।

वित्तीय वर्ष 2012-13 ने ग्रामीण आबादी के लिए वित्तीय समावेशन, आजीविका और सामाजिक विकास के नये स्तरों की ओर उल्लेखनीय प्रगति एवं प्राप्ति को देखा। इस बयान का एक प्रतिबिंब जीविका (JEEViKA) है – आजीविका की एक योजना जिसने 2006 में अपनी स्थापना के बाद से एक लंबा सफर तय किया है। वर्तमान संस्करण इस कल्याण योजना को इसकी पूर्ण महिमा के साथ दिखाता है। आज तक, इस योजना ने 1.5 करोड़ ग्रामीण गरीबों को 10 लाख स्वयं-सहायता समूहों में संगठित किया है और इसका लक्ष्य एक करोड़ ग्रामीणों को गरीबी से उबारना है। इस योजना पर हमारी पत्रिका का अनुभाग अब तक हुए इसके विकास का जायजा लेता है, और आगामी वर्ष की इसकी कार्य योजना पर विचार करता है।

ग्रामीण विकास विभाग उन पाठकों को भी धन्यवाद देता है जिन्होंने समृद्धि के पिछले अंक पर अपनी प्रतिक्रिया भेजी थी। आपकी प्रशंसा और सुझावों द्वारा इस समाचार पत्र के प्रत्येक संस्करण को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

Ksida

कुमार सिद्धार्थ
विशेष कार्य पदाधिकारी
ग्रामीण विकास विभाग

सभी के लिए शौचालय

सरकार वर्ष 2022 तक बिहार को एक 'खुला-शौच मुक्त' राज्य बनाने का उद्देश्य रखती है

स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक उग्र उपाय के रूप में बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत (गांव के प्रशासनिक निकायों) और शहरी निकायों के लिए चुनाव लड़ने के लिए उन राजनेताओं को वर्जित कर दिया है जिनके अपने घरों में शौचालय नहीं हैं। पटना में विश्व शौचालय दिवस समारोह को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही बिहार पंचायती राज अधिनियम और अन्य कानूनों में संशोधन लायेगी और घरों में शौचालय के होने को स्थानीय निकाय के चुनावों को लड़ने के लिए एक बुनियादी मानदंड बनायेगी। सरकार विश्वास रखती है कि यह पहल वर्ष 2022 तक बिहार को एक "खुला-शौच मुक्त" राज्य घोषित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी मददगार साबित होगी।

सभी के लिए शौचालय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि खुले में शौच मानव गरिमा के प्रति एक अपमान है और उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस समस्या पर अविलंब ध्यान दिया जाये। "खुले में शौच मानव गरिमा के प्रति एक अपमान है, मानवता के लिए एक अभिशाप है। जैसे कोई व्यक्ति जिसे लोगों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो, मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए एक गरिमामय जीवन सुनिश्चित कराना



पटना में विश्व शौचालय दिवस समारोह में (बाएँ से) सचिव, आरडीडी, अमृत लाल मीणा, ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति

खुले में शौच लगभग 90

फीसदी बीमारियों का स्रोत है। इसका उन्मूलन आने वाली पीढ़ी की एक महान् सेवा होगी।

— नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

मेरा परम कर्तव्य है। शौचालय तक पहुँच इसके मूल में है," कुमार ने बाद में एक ब्लॉग में कहा।

राज्य के हर घर में शौचालय बनाने के उनके सरकार के अभियान को याद करते हुए उन्होंने कहा, "लोहिया (राम मनोहर लोहिया) के दूर दृष्टि और मेरे व्यक्तिगत विश्वास से प्रेरित होकर, हमने सबके लिए शौचालय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2006 में लोहिया स्वच्छता योजना को अभिकल्पित और इसका शुभारंभ किया था... मैं यह जानकर गर्व का अनुभव करता हूँ कि महाराष्ट्र के अलावा, बिहार ही एकमात्र राज्य है जिसने खुले में शौच की समस्या का समाधान करने के लिए एक अनूठी योजना की शुरुआत की है। लोहिया स्वच्छता योजना को वर्ष 2015 तक सभी घरों में स्थायी शौचालय उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिकल्पित किया गया था,"।

कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पंचायतें शौचालयों के निर्माण के लक्ष्य को 100 प्रतिशत पूरा करेंगी, उन्हें रु.5 लाख का निर्मल ग्राम पंचायत पुरस्कार

और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वे प्रखंड जो सफाई अभियान चलायेंगे, उनके लिए निर्मल प्रखण्ड पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए होंगे। उन्होंने प्रत्येक परिवार को अपने घर में शौचालय स्थापित करने के लिए रु.10,000 देने की घोषणा की, और साथ ही यह भी कहा कि निर्माण की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए सरकारी अधिकारी लगाये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, "खुले में शौच लगभग 90 फीसदी बीमारियों का स्रोत है। इसका उन्मूलन आने वाली पीढ़ी की एक महान् सेवा होगी।" ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि सरकार ने राज्य भर में घरों में शौचालयों के निर्माण को प्राथमिकता दी है, और जल्द ही प्रत्येक घर में एक शौचालय के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करेगी।

राज्य सरकार के आकलन के मुताबिक, बिहार में लगभग 22 लाख परिवारों के घरों में शौचालय नहीं हैं और वे खुले में मलत्याग करने को मजबूर हैं। राज्य में मात्र 17.6 फीसदी परिवारों के पास ही शौचालय हैं। शौचालय के बिना परिवारों की कुल 82.4 फीसदी में से, 85 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

राज्य सरकार, श्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में, 2007 के बाद से विकास यात्राओं और जनसभाओं के माध्यम से सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक के लिए 2 लाख रुपए के आवंटन के साथ एक ब्रिज कोष स्थापित किया जाएगा। शौचालय बनाने के लिए इसका मनरेगा के साथ उपयोग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह गांवों के 2.19 करोड़ लोगों के लिए शौचालय बनाने के लक्ष्य को बढ़ा दे। ■



संपूर्ण स्वच्छता अभियान

निर्मल भारत अभियान (एनबीए) ग्रामीण क्षेत्रों के स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने का लक्ष्य रखता है। एनबीए के कार्यान्वयन की आधारभूत इकाई के रूप में पंचायत का नाम प्रस्तावित है। वे पंचायतें जहाँ सभी बस्तियों के लिए पानी उपलब्ध है, को प्राथमिकता पर लिया जाना है। इसका मिशन पूरे ग्रामीण भारत को कवर करना और वर्ष 2022 तक देश को निर्मल भारत बनाना है।

यह अभियान बिहार के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि एक शोध के अनुसार इसकी 67 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के पास शौचालय की सुविधा तक पहुँच नहीं है। ग्रामीण बिहार में लगभग 85 प्रतिशत परिवार हैं जिनके पास एक समुचित शौचालय तक पहुँच नहीं है और वे एक शौचालय चाहते हैं। जो लोग शौचालय चाहते हैं, उनमें से 49 फीसदी (महिलाओं और बच्चों के लिए) सुरक्षा कारणों से, 45 फीसदी (बुजुर्ग या मानसून के दौरान) आराम के लिए और 24 फीसदी गोपनीयता के लिए चाहते हैं। सर्वेक्षण किये गये जनसंख्या के एक प्रतिशत ने स्वास्थ्य को शौचालय होने के लिए एक प्रेरक के रूप में बताया।



लोगों का एक मिशन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा 2005, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 वर्ष से ऊपर के अकुशल मजदूरी करने को तैयार हर परिवार के लिए एक वित्तीय वर्ष में गारंटीशुदा 100 मानव दिवसों की रोजगार को पाने के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। लंबे समय में, यह योजना गरीबों के लिए रोजगार पैदा करने से, आजीविका संपत्ति और विकल्पों में वृद्धि करने की ओर जाने का लक्ष्य रखता है। समृद्धि के इस संस्करण में, हम बिहार के कुछ जिलों का दौरा करेंगे जिन्होंने गंभीरता के साथ इस योजना को लागू किया है और इसकी दीर्घकालिक दृष्टि की ओर प्रतिबद्ध हैं। इन जिलों ने मनरेगा तथा इसके अन्य घटकों जैसे पंचायती राज संस्थाओं, वार्ड सभाओं और ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने, सामाजिक अंकुश और निगरानी, और लोगों के प्रशिक्षण पर जोर दिया है।

औरंगाबाद

अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण ही उन्नति का पथ है

सर्वोत्तम प्रथाओं के अभिसरण से जिले में एक सकारात्मक प्रभाव आया है



एतवाह, औरंगाबाद में अम्बेडकर क्लब व पार्क में प्रगति के संबंध में बैठक

औरंगाबाद जिले के हासपुरा प्रखंड के एतवाह पंचायत में अभिसरण की नीति, एक शक्तिशाली नई दुनिया की ओर प्रगति की दिशा में एक कदम साबित हुई है। आवश्यकता प्रभावी ढंग से गरीबी उन्मूलन के मुद्दे के समाधान और अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से प्रयासों का अनुकूलन है।

मनरेगा के साथ एक अंतर-क्षेत्रीय कार्यक्रम का अभिसरण, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर योजना और प्रभावी निवेश को सक्षम बनायेगा, और साथ ही नियोजन प्रक्रिया और कार्यान्वयन के संदर्भ में विभिन्न सरकारी योजनाओं के बीच तालमेल लायेगा।

मनरेगा, अभिसरण के लिए एक आदर्श प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह स्थानीय क्षेत्र योजना बनाने के लिए एक संयुक्त कोष प्रस्तुत करता है और विकेंद्रीकरण का प्रावधान देता है, जो जमीनी स्तर तथा स्वामित्व के स्तर पर परियोजनाओं के एक व्यापक मूल्यांकन को सक्षम बनाता है। यह कानूनी सुरक्षा उपायों के माध्यम से सशक्त बनाता है, एवं संस्थागत लिंकेज के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और मानव पूंजी तथा भौतिक पूंजी के प्रभावी विकास के माध्यम से सतत विकास को सुगम बनाता है। हासपुरा प्रखंड का अम्बेडकर क्लब मनरेगा के तहत योजनाओं के बीच अभिसरण का एक सफल उदाहरण है।

एतवाह पंचायत में अम्बेडकर क्लब व पार्क के निर्माण से पहले, तीन एकड़ भूमि पूरी तरह से परित्यक्त थी और मानसून के दौरान बड़बूदार कचरे और अन्य कारणों की वजह से हालत और खराब रहती थी। इस क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग हैजा और मलेरिया जैसे संक्रामक रोगों से पीड़ित थे।

लोग जिला प्रशासन के पास इस संदर्भ में अपनी शिकायतें लेकर गये थे और डीआरडीए औरंगाबाद के त्वरित प्रयासों के कारण भूमि का यह टुकड़ा अब औरंगाबाद-हासपुरा मार्ग पर एक मील का पत्थर है। चार योजनाओं — मनरेगा, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ), 12वें वित्त आयोग और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

एतवाह पंचायत में अम्बेडकर क्लब व पार्क के निर्माण से पहले, तीन एकड़ भूमि बुरी हालत में थी। इस क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग हैजा और मलेरिया जैसे संक्रामक रोगों से पीड़ित थे।

(एसजीएसवाई)— के अभिसरण ने यह परिणाम दिया है।

मनरेगा के माध्यम से, भूमि के एक हिस्से में, पार्क के पीछे एक तालाब बनाया गया था, जो गांव के लिए मत्स्य पालन द्वारा आजीविका के साधन के रूप में कार्य करता है। दूसरे, मनरेगा के माध्यम से, पार्क में वृक्षारोपण किया गया है, जिससे रोजगार के अवसर मिले और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

बीआरजीएफ के द्वारा इस पार्क में एक चलने के पथ का निर्माण किया गया, जो स्वस्थ जीवन शैली की अवधारणा को बढ़ावा दे रहा है। पार्क, सोसायटी की उत्पादकता के लिए धन का उपयोग करने का एक बढ़िया उदाहरण है। यह हासपुरा प्रखण्ड के लिए मनोरंजन के एक केंद्र का उद्देश्य भी पूरा करता है जहाँ युवा, महिलाएँ और बुजुर्ग समुदायिक बातचीत, खेल या गांव के लिए आम एजेंडा पर चर्चा के लिए इस स्थान का उपयोग करते हैं।

12वें वित्त आयोग की सहायता द्वारा पार्क पर एक बड़े मंच का निर्माण किया गया जो अब प्रखंड स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आयोजनों के लिए एक केंद्र के रूप में काम करता है। इसके अलावा, पार्क में वृक्षारोपण एसजीएसवाई के तहत, आसपास के गांवों से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा किया गया था। ■



किशनगंज में एक खेत-पोखरी के आसपास महादलित परिवारों और जॉब कार्ड धारकों के लिए मनरेगा जागरूकता अभियान

किशनगंज

स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार किये गये कार्य

इस चाय उत्पादक जिले में मनरेगा को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अनेक प्रयास चल रहे हैं

किशनगंज, पूर्णिया प्रमंडल, बिहार का एकमात्र चाय उत्पादक जिला है। इस क्षेत्र से जुड़ी नदियाँ मेची, महानंदा, काँकी और रमजान हैं। यह जिला बांग्लादेश के साथ सटा हुआ है एवं दक्षिण पूर्व में नेपाल की सीमाओं को छूता है और यह पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर और दार्जीलिंग जिले से उत्तर में है। एडीपीसी सह डीडीसी जैसे जिला स्तर के अधिकारी, प्रखंड स्तर के अधिकारी (बीडीओ) तथा कार्यक्रम अधिकारी (पीओ), ग्रामीण परिवारों के साथ सीधे संपर्क में हैं, और मनरेगा के साथ उन्हें जोड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। चूँकि किशनगंज साक्षरता के मामले में बिहार में सबसे पिछड़ा जिला है (57.04 फीसदी) और ग्रामीण जनसंख्या का बहुमत अनपढ़ है, नौकरी चाहने वालों के साथ किया सीधा संवाद, कल्याण कार्यक्रम में उनकी भागीदारी बढ़ाने में एक प्रभावी भूमिका निभा रहा है।

किशनगंज में मनरेगा अद्वितीय है

विधवाओं, परित्यक्त और अलग हुई महिलाओं की आबादी को एक अलग हिस्से के रूप में देखा जा रहा है और उन्हें जॉब कार्ड प्रदान किया गया है। परिवार के सदस्यों के साथ रहने वाले एकल के साथ ही निर्भर महिलाओं की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए उनकी अलग पहचान तथा उनके लिए भी जॉब कार्ड जारी किए जाते हैं। यह योजना, लोकतंत्र की जमीनी प्रक्रिया को मजबूत बनाने और शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही भरने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जिला की टीमें किशनगंज में योजनाओं को चलाती हैं जिससे नौकरी चाहने वालों को सीधा फायदा होता है। मनरेगा के द्वितीय चरण की योजनाओं ने उन हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया है जहाँ महादलित, अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति अधिक संख्या में रहते हैं। बकरी आश्रय, पोल्ट्री शेड और मूत्र टैंक के साथ मंच के अलावा हाल ही की एक लोकप्रिय योजना खेत-तालाब है, जिसे स्थानीय स्तर पर खेत-पोखरी के रूप में जाना जाता है।

इनके अलावा, पीसीसी और इंटरलॉकिंग टाइल्स के लिंक रोड महादलित टोलों और अन्य स्थानों में भी चल रहे हैं। पौधरोपण की कई योजनाएँ भी सफलतापूर्वक पूरी की जा रही हैं।

जिला मनरेगा टीम, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियमित यात्राओं के साथ, ग्रामीण हितधारकों के साथ जानकारी साझा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण आबादी जिसका 93 प्रतिशत निरक्षर है, ऐसे में जिले की टीम के ये प्रयास, जागरूकता पैदा करने की दिशा में बहुत आगे तक जायेंगे।

सूचना, शिक्षा और संचार

मनरेगा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जिला स्तर पर कार्यशालाएँ आयोजित की गयी हैं। पंचायत रोजगार सेवक (पीआरएस), पीओ और जिला मनरेगा सेल एक वर्ष में तीन बार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इसके अलावा, ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी) द्वारा आईएल एंड एफएस की सहायता से मनरेगा कर्मचारियों के लिए सत्र आयोजित करता है। मनरेगा में उपलब्धियों के बारे में मीडिया को अधिक जागरूक बनाने के लिए मीडिया के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम

प्रखंड स्तरीय अभियान अक्सर प्रखंड कार्यालय परिसर में और ग्रामीण हाट जैसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित किया जाता है। इन बैठकों में आम तौर पर बीडीओ तथा पीओ की अध्यक्षता होती है। पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के सदस्य भी इस अभिविन्यास कार्यक्रम में भाग लेते हैं और मनरेगा के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं।

पंचायत स्तर के कार्यक्रम

महादलित टोलों में मनरेगा में उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक



किशनगंज में एक खेत-पोखरी के आसपास महादलित परिवारों और जॉब कार्ड धारकों के लिए मनरेगा जागरूकता अभियान

बनाने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाता है।

पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी करने, मॉग पैदा करने और बैंक और डाकघर में खाता खोलने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित इन ग्राम विकास शिविरों में भाग लेने के लिए अपीलें की गई हैं।

नियमित निगरानी

मनरेगा की योजनाओं को चलाने वाली प्रधान कार्यान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत है। पीआरएस भी योजना को सफलतापूर्वक चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उप विकास आयुक्त (डीडीसी) सह-अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (ADPC) निगरानी एवं निरीक्षण के मुख्य जिम्मेदार प्रधान अधिकारी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के गहन दौरों और बीपीएल परिवारों के साथ बातचीत ने उन्हें मनरेगा की द्वितीय चरण की योजनाओं के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है।

खेत-पोखरी ने योजना में एक साथ काम कर रहे विभिन्न श्रेणी के लोगों के बीच एक मजबूत बंधन स्थापित किया है। इसने इन लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खोल दिए हैं, भले ही कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि का उपयोग जल के स्थायी भंडारण के लिए किया जा रहा है। द्वितीय चरण के तहत अन्य कार्यक्रम भी चल रहे हैं। मनरेगा में जिला अधिकारियों द्वारा योजनाओं के 10 प्रतिशत का निरीक्षण करना औपचारिक है। तथापि, इन योजनाओं के 25 प्रतिशत से अधिक का निरीक्षण जिला अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा के कार्यपालक अभियंता एक सप्ताह में तीन बार कार्यस्थल का दौरा करते हैं। एडीपीसी सह डीडीसी भी एक हफ्ते में तीन बार कार्यस्थल का निरीक्षण करते हैं। प्रखंड स्तर के पीओ नियमित रूप से कार्यस्थल का दौरा करते हैं।

परिवार के सदस्यों के साथ रहने वाली एकल के साथ ही निर्भर महिलाओं की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए उनकी अलग पहचान तथा उनके लिए भी जॉब कार्ड जारी किए जाते हैं। यह योजना, लोकतंत्र की जमीनी प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पिछले दो वर्षों से बढ़ रहे मॉग आधार प्रक्रिया के परिणाम

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	काम के लिए परिवार की मॉग	सृजित मानव दिवस
1	2011-2012	25,731	8,87,594
2	2012-2013	33,762	13,88,146
3	2013-2014 (जुलाई तक)	28,603	6,45,336

ताकि किसी भी शिकायत को तुरंत हल किया जा सके। निरीक्षण के संदर्भ में, डीपीसी एवं जिला मजिस्ट्रेट अनेक मापदंडों, जैसे व्यक्तियों की संख्या, उत्पन्न दिवसों, महिलाओं की भागीदारी का अनुपात, अनुसूचित जाति/जनजाति की भागीदारी अनुपात, मस्टर रोल प्रबंधन, आदि के अनुसार एक दैनिक आधार पर कार्यक्रम पर नजर रखते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले हर कार्यस्थल का दौरा करें और नियमित रूप से डीआरडीए को सूचित करें। इस यात्रा के दौरान मस्टर रोल और कार्यस्थल की सुविधाओं के सत्यापन पर एक विशेष जोर दिया गया।

एक कार्यस्थल के लिए परिचालनात्मक दिशा निर्देशों को निर्धारित किया गया। इनके तहत, मस्टर रोलों को साइट पर उपलब्ध कराने और बनाये रखने के निर्देश दिये गये। छाया, पीने के पानी और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध होना चाहिए। यदि छह साल की उम्र से कम के पाँच से अधिक बच्चे मौजूद हैं, तो चाइल्डकेयर सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। ■

— लेखक आदित्य कुमार दास, डीपीसी सह जिला पदाधिकारी, किशनगंज, बिहार हैं

मनरेगा द्वितीय चरण केस स्टडी

रोड और क्लस्टर बकरी आश्रय

महादलित और अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित परिवारों के साथ बैठक करना और उनकी चिंताओं को सुनना शुरु में एक चुनौती थी। इस योजना का ध्यान उनके जीवन के उत्थान करने पर और उन्हें यह दिखाने पर था कि कैसे वे अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं और अपनी बुनियादी जरूरतों को सुरक्षित कर सकते हैं।

वार्ड सभा की एक बैठक के बाद, पीआरएस ने सभा के दिन की घोषणा की। समुदायों की समस्याओं को सुनने के बाद, उनके रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए एक वार्षिक योजना को तैयार किया गया। पहला प्रयास किशनगंज में टेसा पंचायत में ढेकसारा के महादलित टोले में था जहाँ लोगों को एक सड़क से जोड़ने का निर्णय लिया गया जो उन्हें पीडब्ल्यूडी सड़क के साथ जोड़ेगा। वार्षिक कार्य योजना ने इलाके में एक पीसीसी सड़क की अनुमति दी, जहाँ पर मिट्टी की सड़क बारिश के दौरान पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए पूरी तरह से बेकार हो गई थी। इस पीसीसी सड़क के निर्माण के बाद, अगला उद्देश्य इलाके में एक क्लस्टर बकरी आश्रय के निर्माण का है।

कैमूर

सड़क और तालाब एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहे हैं

कैमूर में किए गये कई महत्वपूर्ण पहल, जैसे सड़कों और तालाबों के निर्माण ने ग्रामीणों के जीवन को आसान बना दिया है

कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड के कैलाशपुर गांव में विकास पूरी तरह से नहीं आया था। यह गांव एक मोटर चलाने योग्य सड़क से नहीं जुड़ा था और तत्काल चिकित्सा के मामलों में एंबुलेंस के आने जैसी बुनियादी सुविधाओं की पहुँच से बहुत दूर था। तब ग्राम पंचायत सलथुआ ने ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी के साथ मनरेगा के तहत कार्य करने का निर्णय लिया। गांव के निवासी निर्णय को लेकर उत्साहित थे चूंकि सड़कों के निर्माण का अर्थ उपज और उपकरणों तक बेहतर पहुँच था। सड़क का निर्माण लगभग 4 लाख रुपये के बजट में 293 मानव दिवसों में किया गया। कार्यक्रम में सबसे अच्छी बात यह थी कि सड़क लोगों की सक्रिय भागीदारी और निगरानी में बनाया गया।

कमलेश राम, जो एक दिहाड़ी मजदूर है, दूसरों की भूमि पर काम करके अपनी जीविका चलाता है। तथापि, उसकी भूमि पर एक खेत—पोखरी (एक खोदे हुए तालाब) के निर्माण के बाद उसका जीवन धीरे—धीरे बदलने लगा। इस छोटे—सी पोखरी में राम ने मत्स्य पालन शुरू कर दिया। पोखरी बरसात के मौसम के दौरान अतिरिक्त पानी को जमा करती है और मत्स्य पालन के द्वारा राम को ₹.40,000—50,000 तक की आय प्रतिवर्ष प्रदान करती है। अब वह अपने भविष्य को लेकर अधिक आश्वस्त है।

ग्राम पंचायत बड़ा गांव, प्रखंड रामपुर कुकुड़ा गांव के निवासी राम की जमीन पर खेत—पोखरी के निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष 2013—14 में ₹.99,700 के बजट और 653 मानव दिवसों में किया गया था। 81,000 लीटर की क्षमता की पोखरी के निर्माण में अप्रशिक्षित शारीरिक

श्रम का उपयोग किया गया। और, यह मामला प्रखंड में एकमात्र नहीं है। वंचितों को स्वरोजगार एवं उनके उत्थान हेतु रामपुर में जल संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है।

नए निर्माण के अलावा, मनरेगा के तहत ग्रामीण मौजूदा सेट—अप को पुनर्जीवित कर रहे हैं। प्रखंड चाँद, ग्राम पंचायत भरारी कला में ग्रामीणों ने भरारी कुसाही ताल की मरम्मत करने का काम हाथ में लिया जो कि ठीक से काम नहीं कर रहा था। जल्द ही ग्रामीण लगभग 50 एकड़ जमीन की सिंचाई कर पा रहे थे और अपनी कृषि उपज बढ़ाने में सक्षम हुए। पुनर्जीवित तालाब के कारण क्षेत्र का भूमि जल स्तर भी ऊपर हुआ। ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य द्वारा योजना को समर्थित किया गया। भरारी कुसाही ताल की मरम्मत ₹.9,91,500 के बजट में 5,944 मानव दिवसों में पूरा किया गया।

महादलित टोलों में स्वच्छता पर भी जोर दिया गया है। सबर और लेवाबंध गांव में, पीसीसी सड़कें क्रमशः ₹.4,65,362 और ₹.2,34,500 के बजट में वित्तीय वर्ष 2013—14 में निर्मित की गई हैं। गांव चनाकी को गांव बहेरी से जोड़ने वाली एक 2,000 फुट लंबी पक्की सड़क का निर्माण किया गया है। अब, निवासियों के लिए अहिराँव से बेलौव होकर सबर और बेलौव बरसात के मौसम में भी जाना संभव हो गया है, जो कि पहले संभव नहीं था।

मनरेगा की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, सामाजिक अंकेक्षण, ग्राम सभा और ग्राम विकास शिविर के माध्यम से परियोजनाओं की एक नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। ■

अरवल

विकास का दूसरा चरण

निजी भूमि में खेत—पोखरी का निर्माण समृद्धि ला रहा है

अरवल जिला, जो मगध प्रमंडल का हिस्सा है, की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और यहाँ कोई भी अन्य उद्योग मौजूद नहीं है। इसके पाँच प्रखंड, अरवल, कलेर, करपी, कुर्था और सूर्यपुर वंशी मुख्य फसलों के रूप में धान, गेहूं और मक्का का उत्पादन करते हैं। हालांकि क्षेत्र के सब जिले अच्छी तरह से सिंचित है, लेकिन बुनियादी ढांचे और बिजली की कमी के कारण किसान लाभान्वित नहीं हो रहे हैं।

प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, अमृत लाल मीणा द्वारा हाल ही में किया अरवल का दौरा, परिवर्तन की दिशा में एक कदम के रूप में आया। उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में जिले में चल रहे मनरेगा के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। समीक्षा, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों जैसे अतिरिक्त जिला समन्वयक सह उप विकास आयुक्त (एडीसी सह डीडीसी), अरवल और फंड प्रबंधक व निदेशक एनईपी एवं अन्य की उपस्थिति में की गई। टीम ने अधिक खेत—पोखरी या खेतों में खोदे गये तालाबों के निर्माण का समर्थन किया।

जिले की समस्याओं में विभागीय मानकों के अनुमान के अनुसार निजी भूमि की उपलब्धता, अनुसूचित जाति/जनजाति, भूमि सुधार के लाभार्थियों और इंदिरा आवास लाभार्थियों जैसे प्राथमिकता समूहों के लिए भूमि की उपलब्धता, कुछ क्षेत्रों में जल का उच्च स्तर इत्यादि थीं। इन मुद्दों के निदान ने निजी भूमि की उपलब्धता के अनुसार अनुमानों की प्राक्कलन जैसे सुझाव दिये ताकि कवरेज ज्यादा हो सके और खेत के आकार को कम करने या बढ़ाने का प्रावधान किया जा सके, और एक वित्तीय वर्ष में योजना समप्ति की अनिवार्य बिंदु की समीक्षा हो।

निम्न तालिका अरवल में मनरेगा के तहत खोदे गये खेत—पोखरी के निर्माण को प्रखंडवार दिखलाती है। प्रधान सचिव, आरडीडी द्वारा जिले की अपनी यात्रा के दौरान मनरेगा—2 के तहत अन्य पहलों के लिए एक विस्तृत रोडमैप अग्रेषित किया गया। ■

उपलब्धि					
मनरेगा के अंतर्गत खेत—पोखरी निर्माण का प्रखंडवार विवरण					
क्र. सं.	प्रखंड का नाम	पंचायतों की संख्या	कार्य—प्रारंभ खेत—पोखरी की संख्या	पूर्ण खेत—पोखरी की संख्या	सृजित मानव दिवस (अनुमानित)
1	अरवल	12	45	12	34,470
2	कलेर	15	30	13	22,980
3	करपी	19	55	35	42,130
4	कुर्था	11	40	22	30,640
5	सूर्यपुर वंशी	8	27	13	20,682
कुल		65	197	95	15,090,2



रोपण अब फल और सब्जियों की उपज देता है

भागीरथपुर

अप्रयुक्त भूमि उपजाऊ बनी

मनरेगा के तहत ऊसर भूमि पर किया वृक्षारोपण अभियान अभूतपूर्व सफलता देख रहा है

गंडक नदी के पास स्थित भागीरथपुर, समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है और अपनी उपजाऊ भूमि और उच्च जल स्तर के लिए जाना जाता है, लेकिन अपनी सघन आबादी के कारण, यह कृषि योग्य भूमि की कमी से ग्रस्त है। यहाँ के पंचायत क्षेत्र में रामेश्वर जूट मिल्स भी स्थित है। यह एकमात्र उद्योग है जो स्वतंत्रता के पहले स्थापित किया गया था, और यह इसके कुछ निवासियों को आजीविका कमाने में मदद करता है। समस्तीपुर—दरभंगा रेलवे खंड का मुक्तापुर स्टेशन पहले माल परिवहन करने के लिए 2 किलोमीटर की दूरी पर, मिल्स के साथ जोड़ा गया था। बाद में, गेज परिवर्तन के दौरान, जब मुक्तापुर स्टेशन का भाड़े पर माल ढुलाई संबंधित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया, तब मुक्तापुर और मिल्स के बीच लगभग 16 एकड़ बंजर भूमि को नजरअंदाज कर दिया गया। अप्रयुक्त पड़ा रहकर, कुछ लोगों द्वारा मिट्टी के कटाव के कारण यह काफी ऊबड़—खाबड़ हिस्सा हो गया।

ग्राम सभा के दौरान पंचायत ने मनरेगा योजना के तहत इस भूमि का वृक्षारोपण के लिए उपयोग करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। मुखिया के नेतृत्व में, पंचायत और पंचायत समिति के सदस्यों ने भारतीय रेलवे से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया, जो कि अगस्त 2012 में प्राप्त हुआ। लगाने के लिए लगभग 50 फल के पौधों और सब्जियों को चुना गया। उचित पानी, उर्वरक और देखभाल के साथ ये पौधे खूब फले—फूले और किसी भी अतिरिक्त लागत के बिना उच्च पैदावार हुआ।

प्रारंभिक परिणामों से उत्साहित होकर वन रखवालों ने क्षेत्र में सब्जी की खेती शुरू कर दी। परिणाम बहुत उत्साहजनक रहे और अप्रत्याशित उच्च पैदावार के कारण, उत्पादन को निर्धनों के बीच वितरित किया गया। यह अनुमान है कि अबतक लगभग ₹.5 लाख की सब्जियों का वितरण हुआ है। इस प्रकार, मनरेगा योजना के तहत भूमि के एक अप्रयुक्त टुकड़े को पंचायत की सबसे बड़ी संसाधनों में से एक के रूप में विकसित किया गया है। ■



(बाएँ से) गांव कुकुड़ा में कमलेश राम की जमीन पर बनी खेत—पोखरी और गांव खरेंडा में बिसाही ताल में काम कर रहे मनरेगा श्रमिक





बांधों, आहर—पाइन, तालाबों, कुओं और अन्य समर्थित संरचनाओं का एक संवहनीय नेटवर्क अनुपयोगी भूमि को कृषि योग्य बनाता है।

जमुई जल सशक्तिकरण

एक पारंपरिक जल संरक्षण मॉडल के द्वारा जिला अपनी सिंचाई की समस्या से बाहर आ गया है

जमुई दक्षिण बिहार का एक सूखा प्रवण, नक्सल प्रभावित जिला है। इसका बलथर पंचायत, सोनो प्रखंड के पहाड़ी क्षेत्र में है और इसकी 20,000 एकड़ की भूमि का आधे से अधिक भाग पहाड़ी और इसकी संरचना पथरीली है, और पानी की कमी के कारण ऊसर रहती है। जिले की औसत वर्षा अन्य क्षेत्रों के मुकाबले तुलना करने पर ठीक ही है, लेकिन ढलवाँ स्थलाकृति और जल संरक्षण का अभाव इससे आने वाले लाभों को रोकता है। पंचायत के किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर रहते हैं।

नरेगा के सहायक ढाँचे के साथ—साथ लोगों के दूरदर्शी प्रयासों तथा पंचायत के नेतृत्व द्वारा पंचायत ने बांधों, आहर—पाइनों, तालाबों, कुओं और अन्य समर्थित संरचनाओं का एक संवहनीय नेटवर्क बनाया है, जिसके माध्यम से 1,000 एकड़ जमीन सिंचित और कृषि योग्य बनाई गयी है। बदले में, इसने इस क्षेत्र की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर आजीविका के अवसरों की वृद्धि की है।

यह तालिका दिखाती है कि पिछले छह वर्षों में, सोनो प्रखंड में बलथर पंचायत मनरेगा के माध्यम से जल संरक्षण और संवर्धन के द्वारा 1,000 एकड़ से अधिक जमीन को सिंचित भूमि बना पाने में सफल रही है। आहर—पाइन तथा तालाबों के एक नेटवर्क के माध्यम से, बह रहा

पानी पंचायत के निवासियों के लिए उपलब्ध कराया गया है।

यह मामला बिहार की सदियों पुरानी आहर—पाइन प्रणाली की सफलता की कहानी भी है, जिसे बलथर में पुर्नजीवित किया जा रहा है। यह प्रणाली एक स्वदेशी सिंचाई तकनीक है, जो क्षेत्र की कृषि जलवायु स्थितियों की जरूरत के अनुसार विकसित हुई है। सिंचाई की व्यवस्था उन क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ अल्प वर्षा, तीव्र ढलान (तेजी से वर्षा के जल का बह जाने का एक कारण) और मिट्टी की समस्याएँ हैं, जो कि या तो कठोर मिट्टी है या फिर ढीली रेत है

1,000 से अधिक एकड़ जमीन को सिंचाई और इस प्रकार सक्रिय खेती के तहत लाया गया है। सोनो पंचायत में और आसपास के क्षेत्र में 2,000 एकड़ भूमि को खेती में लाने की संभावना है।

प्रखंड—वार भूमि का उपयोग (हेक्टेयर में क्षेत्रफल)								
क्र.सं.	प्रखंड	भौगोलिक क्षेत्र	कृषि योग्य क्षेत्र	कृषि क्षेत्र	कृषि योग्य बंजर भूमि	वर्तमान बंजर भूमि	जंगल	विभिन्न वृक्षारोपणों के अंतर्गत भूमि
1	जमुई	17767.29	8751.70	8722.54	11.07	5136.58		607.22
2	खैरा	43055.46	12323.08	11777.47	1486.65	7441.16	15250.55	487.48
3	झाझा	42897.81	7821.53	7276.20	4478.18	3428.36	7395.59	2785.66
4	सोनो	39002.42	5801.18	5615.85	4837.12	15301.70	4804.65	59.17
5	चकई	82460.86	11303.65	10215.96	7405.34	18092.33	32715.14	402.78
6	लक्ष्मीपुर	24978.68	8447.26	7253.18	985.11	6465.48	5221.70	206.08
7	बरहट	22432.02	5536.20	5231.08	424.64	23309.26	13159.85	
8	गिघौर	8270.24	4730.19	4686.52	1186.91	1087.91		170.35
9	सिकेन्द्रा	18558.92	5915.51	5781.48	1076.72	5871.16	2398.78	5.56
10	अलीगंज	17070.40	7232.62	7110.12	994.61	5025.80	1987.23	
कुल		316494.15	77862.92	73670.40	22886.35	91159.74	82933.49	4724.30

- बलथर पंचायत सोनो प्रखंड में है, जहाँ आधे से अधिक भूमि ऊसर है और लगभग 12 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि बंजर है।
- क्षेत्र की आधे से अधिक भू-भाग पहाड़ी और संरचना पथरीली है।
- पंचायत की आबादी खेती की सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर करती है।



(बाएँ से) जिले में एक निर्माण स्थल पर एक नव निर्मित खेत—पोखरी और मनरेगा श्रमिक



जो नमी को बनाए नहीं रख सकती। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए पाइन कहे जाने वाले लंबे संकीर्ण कृत्रिम चैनल नदियों से खेतों तक पानी ले जाते हैं। तथा, उसी तेज ढलान से पानी का अपव्यय होगा यदि जल को आहर नामक जलाशयों में जब्त नहीं किया जाए, जो जल निकासी के प्रवाहों के आड़े तटबंधों की एक श्रृंखला के निर्माण द्वारा बनता हैं।

किसान अब ग्रामीणों के इस पुरातन ज्ञान तथा कौशल का उपयोग कर जल संचयन और संरक्षण के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली रणनीति पर काम करते हैं। मंत्र है :—

- बहते पानी को रोकना
- पानी के प्रवाह को नियंत्रित करना, इसकी पहुँच को व्यापक बनाना।
- जलग्रहण क्षेत्र की पहचान करना तथा छोटे बांधों और आहर—पाइन

के माध्यम से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना, एवं

- पानी रोकने और जल स्तर में सुधार करने के लिए तालाबों के नेटवर्क का उपयोग करना।

इसके द्वारा 1,000 से अधिक एकड़ जमीन को सिंचाई और सक्रिय खेती के तहत लाया गया है। पंचायत में और आसपास के क्षेत्र में 2,000 एकड़ भूमि को खेती में लाने की संभावना है। जल के स्तर में सुधार हुआ है और इस तरह सिंचाई की लागत में बचत हुआ है। इन परियोजनाओं को शुरू करते समय समुदाय को विश्वास में लिया गया था, और इस प्रकार ग्रामीणों की निरंतर भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था । पंचायत में जिले में महिला और अनुसूचित जाति की उच्चतम भागीदारी है।

— लेखक देवेन्द्र कुमार सविता, उप विकास आयुक्त, जमुई, बिहार हैं

स्वप्न—घर बने सच्चाई

अनेक नई पहलों ने इस कल्याणकारी योजना में पारदर्शिता और दक्षता को सुधारा है

बिहार सरकार ने लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को और अधिक सुलभ बनाने के लिए कई नई पहलें की हैं। कार्यक्रम के व्यापक प्रचार के अलावा, धन के वितरण की सुविधा के लिए प्रखंड में विशेष शिविरों को आयोजित किया गया है। इन शिविरों ने पूरी वितरण प्रक्रिया में सफलतापूर्वक पारदर्शिता और जवाबदेही लायी है। वंचितों और अनपढ़ वर्ग के लिए कागजी कार्रवाई की जरूरत को कम—से—कम किया गया है, और हलफनामों की लागत को सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। 1996 से 2012 के बीच के लाभार्थियों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, और एक विशेष अभियान उन लोगों की पहचान करेगा जो राशि प्राप्त करने के बावजूद निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए हैं।

कैम्प, एक समाधान

सभी ब्लॉकों में विशेष इंदिरा आवास योजना शिविरों का आयोजन पहली किस्त को चुकाने के लिए किया गया जिसमें 4,66,135 लाभार्थियों को एक ही दिन में रु.1,398.40 करोड़ का भुगतान हुआ। 12 अक्टूबर, 2012 को एक और शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 2,10,631 लाभार्थियों को रु.631.90 करोड़ वितरित किये गये। जून में आयोजित दो शिविरों में कुल रु.1,268.44 करोड़ वितरित किये गये।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने, इंदिरा आवास योजना की फंड वितरण की पूरी प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है : प्रखंड के अनुसार/पंचायत के अनुसार लक्ष्य की स्थापना और व्यापक प्रचार, लाभार्थियों की सूची पर AWAASSoft का अद्यतन, प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) द्वारा लाभार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण, शिविर कार्यक्रम का प्रकाशन, बड़े पैमाने पर कैंप का जागरूकता अभियान (पर्चे का वितरण, समाचार पत्रों में विज्ञापन, ड्रम बजाना, आदि), शिविर स्थान पर प्रारंभिक बैठक, शिविर की नियत तारीख पर इंदिरा आवास योजना के धन का वितरण, और शिकायत रजिस्टर करने के लिए वीडियोग्राफी की व्यवस्था।

शिविरों ने प्रशासन और लाभार्थियों के बीच की खाई को पाटा है। निम्न तालिका में इंदिरा आवास योजना के शिविरों द्वारा लाये गये प्रभाव का ब्यौरा दिया गया है। जैसा कि तालिका में दिखाया गया है, 52 फीसदी के जितना लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2011—12 में एक ही शिविर में हासिल किया गया है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2012—13 के संपूर्ण लक्ष्य का 51 फीसदी, 28 जुलाई 2012 को, एक ही दिन में हासिल किया गया था। भौतिक उपलब्धि के अलावा, इन शिविरों ने पारदर्शिता और जवाबदेही लायी है।

इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों का बहुमत, समाज के अनपढ़ और गरीब वर्गों के लोग रहे हैं। अधिकारिक कागजी कार्रवाई के आने पर इन लोगों को अनेक आशंकाएँ होती हैं और यह उन्हें अक्सर बिचौलियों के पास लेकर जाता है। हालांकि, इस समस्या को



अपने घरों के बाहर खड़े, राज्य के जिलों में इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी।

इंदिरा आवास योजना के शिविरों की मदद से संबोधित किया गया है। न केवल लाभार्थियों को प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, बल्कि सरकार हलफनामों की लागत को भी उठाती है ताकि उन्हें अपने हकों के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़े।

इंदिरा आवास योजना के वितरण की प्रक्रिया में अनेक चरण हैं, और हर चरण में विभिन्न हितधारक शामिल हैं। शिविरों का इन्तजाम व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, जिसमें पंचायत के लिए एक विशिष्ट तारीख तय की जाती है और लाभार्थियों का खाता खोलने के लिए बैंकिंग कर्मियों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य	कैंप की तारीख	शिविर उपलब्धि (लक्ष्य का प्रतिशत)
2011-12	7,37,486	27.08.2011	5,07,771
		24.09.2011	65,650
		11.01.2012	1,90,111
		11.01.12 से 31.03.12	37,175
2012-13	8,35,925	28.07.2012	4,66,135
		12.10.2012	1,95,101
		12.10.12 से 31.03.13	72,308
2013-14	6,05,550	08.06.2013	1,02,638
		29.06.2013	1,43,682
		17.8.13	1,63,995
वित्तीय वर्ष 2013-14 में AWAASSoft के अनुसार दिनांक 10.01.14 तक कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 5,91,788 है।			

मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना के तहत, रु.2,000 का प्रोत्साहन महादलित लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा जो सहायता की दूसरी किस्त मिलने के दो महीने के भीतर अपने घर को पूरा करेंगे।

नई पहलें

समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और एक ऐसी प्रणाली बनाने के लिए जहाँ लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के आगे की किश्ते मिलें, प्रखंड स्तर पर साप्ताहिक वितरण शिविरों को आयोजित किया जा रहा है। दूसरे या बाद के किश्तों के लिए प्राप्त दावों के निपटान में देरी को दूर करने के लिए, विभाग ने प्रखंड स्तर पर आरटीजीएस जैसा एक काउंटर - इंदिरा आवास/मनरेगा सेवा केन्द्र - की परिकल्पना की है। प्रणाली के मुख्य आकर्षणों में आवेदन प्राप्त करने के लिए एक सहायक कार्यकारी द्वारा चलाये एक काउंटर की स्थापना, आवेदक के लिए एक उचित रसीद सुनिश्चित करने की एक प्रणाली, पिछले महीने के सभी दावों का निपटान अगले महीने के 15 दिनों तक करने और लाभार्थी को फंड ट्रांसफर की सूचना के

15 दिनों के भीतर देना शामिल है। मनरेगा के तहत काम की माँग का आवेदन भी प्रस्तुत किया जा सकता है, और प्रखंड के प्रभारी वरीय उपसमाहर्ता समय समय पर इनकी निगरानी करेंगे।

AWAASSoft में इंट्री अनिवार्य बनाया गया है, और केवल कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न एडवाइस के आधार पर फंड ट्रांसफर को हटा दिया गया है। लाभार्थियों के खातों में फंड स्थानांतरण एनईएफटी/आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है ताकि स्वीकृति और वास्तविक निधि स्थानांतरण के बीच के समय अंतराल को कम किया जा सके। सहायता की दूसरी किस्त का दावा करने के लिए निर्माणाधीन मकानों की फोटो को अनिवार्य कर दिया गया है। फोटोग्राफी में सुगमता के लिए राज्य सरकार ने वसुधा केन्द्रों का उपयोग करने का फैसला किया है। वसुधा केन्द्र को देय राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

1996 में इसकी स्थापना के बाद से कार्यक्रम पर डेटाबेस तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए बिहार सरकार ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार निर्मित डेटा को AWAASSoft पर अपलोड किया जाएगा ताकि यह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध रहे।

इन पहलों ने समय पर तथा कुशलतापूर्वक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों की भर्ती के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। विशेष रूप से AWAASSoft को अद्यतन करने के लिए, प्रखंड स्तर पर मानव संसाधन बढ़ाने के लिए कार्यकारी सहायक को लगाया गया है। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए लगभग 10,777 नवीन संविदात्मक नियुक्तियों को किया जा रहा है। ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक और लेखा सहायक के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।

अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति संतुष्ट पंचायतों में एक विशेष अभियान भी जारी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे। नतीजतन, लगभग 1.5 लाख नए परिवार बीपीएल सूची में शामिल किये गये। नव शामिल बीपीएल परिवारों को आवास सुविधा दी जा रही है। 11 जिलों में सभी पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। सरकार 2014—15 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी बेघर परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। 1 अप्रैल 2004 के पहले मंजूरी प्रदान किये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के मकानों को पूरा करने और जीर्ण—शीर्ण मकानों के पुर्ननिर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सिद्धांत रूप में एक योजना को 2013—14 के लिए रु.10 करोड़ के बजटीय प्रावधान के साथ शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना के तहत, रु.2,000 का प्रोत्साहन उन महादलित लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा जो सहायता की दूसरी किस्त मिलने के दो महीने के भीतर अपने घर को पूरा करेंगे।

समग्र निवास स्थान विकास और इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की जीवन शैली में गुणात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, चूल्हों, रसोई उद्यान, शौचालयों के निर्माण और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए उपयुक्त वेटेज दिया गया है। एमआईएस अपडेशन के लिए राज्य मुख्यालय स्तर और जिला स्तर पर एक पी एम यु (PMU) का गठन किया जा रहा है। केन्द्रीय हिस्से की दूसरी किस्त जारी करने में देरी और जिले में राशि की उपलब्धता हेतु राज्य सरकार ने अपने अंश को अग्रिम में जारी करने का फैसला किया है ताकि संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण भौतिक प्रगति में बाधा न आये। ■

आजीविका मिशन जो गहराई के साथ दूर तक जायेगा

जीविका (JEEViKA) परियोजना ने पिछले वित्तीय वर्ष में अत्यधिक विकास देखा है, जिससे ग्रामीण गरीबों का सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन सक्षम हुआ

जीविका (JEEViKA)— बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना (BRLP) ने 2006 में अपनी स्थापना के बाद से एक लंबा सफर तय किया है। संस्था और क्षमता निर्माण, वित्तीय समावेशन (विशेष रूप से बचत को बढ़ावा देने और बैंकों के साथ क्रेडिट लिंकेज की स्थापना), भोजन और स्वास्थ्य से संबंधित मध्यवर्तनों द्वारा अरक्षितता में कमी करना तथा आजीविका के मध्यावर्तनों एवं कौशल निर्माण के माध्यम से हक तक पहुँचने और आय बढ़ाने के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। आज तक, कार्यक्रम ने 1.5 करोड़ ग्रामीण गरीबों को 10 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया है तथा यह लक्ष्य रखती है कि एक करोड़ ग्रामीण गरीब, गरीबी से बाहर हो जाएँगे, 15 लाख ग्रामीण युवा प्रशिक्षित होंगे और औपचारिक क्षेत्र में लग जायेंगे तथा रु.12,000 करोड़ का क्रेडिट संस्थागत स्रोतों से बहेगा। जीविका (JEEViKA) ने कुशलतापूर्वक महिला सदस्यों को संगठित किया है तथा यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है। कार्यक्रम ने बीएलआरपी के तहत 60 प्रखंडों में से 47 प्रखंडों में और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत नए 12 जिलों के 65 प्रखंडों में अपने मध्यावर्तन का विस्तार किया है। वित्तीय वर्ष 2012—13 के अंत तक, जीविका (JEEViKA) बिहार के 21 जिलों में 167 प्रखंडों में मौजूद थी। माइक्रोफाइनांस (लघु वित्त) में, जीविका (JEEViKA) ने एक ही वर्ष में 100 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिंकेज पार कर लिया। माइक्रोफाइनांस (लघु वित्त) में, 2012—13 में जन श्री बीमा योजना (JSBY) के तहत एलआईसी द्वारा बीमा किये कुल सदस्यों में से इसकी हिस्सेदारी 90 प्रतिशत से ज्यादा है।

बढ़ते कदम

“बढ़ते कदम” कार्यक्रम का लोकार्पण 2009 में किया गया था जब 26 नये प्रखंडों में इसकी शुरुआत हुई थी और 1800 स्वयं सहायता समूह क्रेडिट से जुड़े थे और इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए 9 मार्च, 2013 को पटना में वंचित ग्रामीण महिलाओं के समूहों को संगठित किया गया था।

महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य बैठक करते हुए।



इस वर्ष, कार्यक्रम ने सामाजिक और वित्तीय समावेशन पर ध्यान दिया और बिहार के 55 से अधिक प्रखंडों में फैले 14,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह 75 करोड़ रुपए से अधिक राशि के लिए बैंकों के साथ ऋण से जुड़े।

सामाजिक विकास के थीम ने हकों, भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, पोषण और स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता के मामले में पहुँच को सुधार कर ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। लगभग 1,451 नए ग्रामीण संगठनों (वीओ) ने दो लाख से ज्यादा घरों को कवर करते हुए खाद्यान्नों की खरीद की और कुल पाँच लाख से अधिक परिवारों का आच्छादन हुआ। पीडीएस से सीधा लाभ प्राप्त करने वाले एसएचजी के सदस्यों की संख्या 13,873 है। इस वर्ष के दौरान 1,443 वीओ ने रु.6.37 करोड़ की राशि की स्वास्थ्य बचत में पहल किया और 1,540 नए वीओ ने स्वास्थ्य निधि प्राप्त की। गया, खगड़िया और मुजफ्फरपुर में लगभग 54 सामुदायिक स्वास्थ्य और पोषण देखभाल केन्द्र स्थापित किये गये और 1,389 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भर्ती किया गया।

बाढ़ प्रभावित कोसी क्षेत्र में खेती को प्रोत्साहित करने के लिए दो भिन्न पहल शुरू किए गए। सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड के गिट्रामारी गांव की चमेली जीविका (JEEViKA) महिला ग्राम संगठन द्वारा बालू पर खेती अभियान चलाया गया और 123 किसानों ने लगभग पांच एकड़ जमीन के रेतीले ढेरों पर खेती की। एक ओर पहल, बोरी खेती की खगड़िया में शुरुआत की गई और कुल 1800 एसएचजी परिवारों ने सब्जियों की खेती की है।

उत्पादन और व्यापार के उद्देश्य के लिए चार कंपनियों को स्थापित किया गया और इन कंपनियों से लगभग 2,000 किसान जुड़े जिससे 40,000 एसएचजी परिवारों को लाभ मिला। इस वर्ष बीआरएलपी टीम की विशिष्टता मुर्गीपालन मध्यावर्तन में रही जिसमें कम लागत वाले ब्रायलर मॉडल को दोहराया गया। कुल मिलाकर 1,500 परिवार काम में लगे हैं और दो मातृ इकाइयों की स्थापना हुई है।

गैर कृषि क्षेत्रों में, क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से मध्यावर्तन को उम्र की ओर बढ़ाया जाएगा। अगरबत्ती बनाने के लिए, आईटीसी के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और 720 एसएचजी परिवारों को चार ब्लाकों में 720 सदस्यों के 18 उत्पादक समूहों में संगठित किया गया है। मधुबनी में 95 कारीगरों के दो निर्माता समूहों को विविध उत्पादन पर प्रशिक्षण दिया गया। 30,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास, प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रदान करने के लिए बारह नए एजेंसियों को काम पर रखा गया। मैट्रिक्स क्लोदिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ तीन वर्षों में 15,000 ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के लिए, तथा कुदुमश्री के साथ गांव में 200 माइक्रो उद्यम सलाहकारों के प्रशिक्षण और नियुक्ति के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं, जो 65,000 एसएचजी घरों को आश्रय में लेंगे। कुल 30,292 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर संगठित सेवा क्षेत्र में रखा गया।

वित्तीय समावेशन

जीविका (JEEViKA) में माइक्रोफाइनेंस (लघु वित्त) साल—दर—साल अधिक—से—अधिक शक्तिशाली हुआ है। सीबीओ के लिए खाता खोलने की प्रक्रिया अत्यधिक सुव्यवस्थित कर दी गई है और हर दस में से नौ स्वयं सहायता समूहों के तीन महीने पुराने होते ही एक बैंक खाता खोला



जीविका (JEEViKA) के तहत ग्रामीण आबादी को सिलाई, सैकी (Sikki) घास शिल्प और मधुबनी कला में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।



गया है। नीति स्तरीय पहल, जिनमें बैंक मित्र की शुरुआत तथा उच्चतर प्रथम क्रेडिट लिंकेज राशि शामिल हैं, ने एक उच्च रूपांतरण अनुपात की ओर योगदान दिया है। छह महीने से अधिक पुराने प्रति दस स्वयं सहायता समूहों में से 7.5 को बैंकों के साथ क्रेडिट लिंक किया गया है। स्वयं सहायता समूहों की प्रारंभिक धन में उल्लेखनीय दक्षता के साथ प्रगति हुई है और मार्च, 2013 तक 87 प्रतिशत समूहों ने आईसीएफ प्राप्त किया है।

जीविका (JEEViKA) ने जीवन बीमा के तहत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की कवरेज को सफलतापूर्वक बढ़ाया है और जेएसबीवाई के तहत 1,91,000 सदस्यों का बीमा हुआ है, और बीमा एजेंसियों के साथ प्रभावी अभिसरण के कारण एक उच्च दावा निपटान अनुपात रहा है। व्यक्तिगत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को वित्तीय मुख्यधारा में लाने के लिए वैकल्पिक बैंकिंग मॉडल का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है।

आजीविका

जीविका (JEEViKA) ने सदस्य परिवारों के लिए विविध आजीविका को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों और उनके महासंघों के संस्थागत मंच का कुशलतापूर्वक उपयोग किया है। इन वर्षों में, जीविका (JEEViKA) द्वारा कृषि आधारित आजीविका मध्यावर्तन में शामिल किसानों की संख्या, मुख्य रूप से एससीआई में बढ़ोत्तरी आई है (इस वर्ष 1,92,000 किसान) और सदस्यों ने चावल और गेहूं से परे दालों, मक्का और सब्जियों में विस्तार किया है। कला और शिल्प, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती रोलिंग, बकरी पालन और पिछवाड़े में मुर्गीपालन द्वारा उत्पादकों के विशिष्ट गतिविधि आधारित समूहों को विकसित किया गया है।

डिजिटल ग्रीन जैसे डिजिटल वीडियो आधारित विस्तार मॉडल के लागू होने से 6519 ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा संचालित एक समुदाय आधारित विस्तार प्रणाली और शक्तिशाली हुई है। इसके अलावा, ग्रामीण उद्यमियों का निर्माण करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा पहलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगभग 16,000 सदस्यों को बेहतर बाजार की कीमतों और गुणवत्ता विस्तार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 330 डेयरी सहकारिता समितियों से जोड़ा गया है। महिला किसानों की चार उत्पादक कंपनियाँ लंबी अवधि के व्यापार की योजना के साथ कार्य कर रही हैं और स्थायी आय सृजन उद्यमों बनाने की ओर केंद्रित हैं।

30,000 से अधिक युवाओं को अभी तक प्रशिक्षित कर नियुक्त किया गया है और नौकरी मेलों, ग्रामीण युवाओं की प्रोफाइलिंग और नियुक्ति के बाद की ट्रेकिंग जैसी नवीन प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा किया गया है। बिहार अभिनव मंच द्वितीय, योजना बनाई गई

है और इसका लक्ष्य आजीविका गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नवीन आविष्कारकों और भागीदारों की पहचान करना है—जैसे एनआरएलएम के तहत परियोजना एक अभूतपूर्व पैमाने तक आगे बढ़ रही है।

माइक्रोफाइनेंस (लघु वित्त)

वर्ष 2012—2013 में लघु वित्त क्षेत्र ने नई ऊंचाइयों को हासिल किया है जैसे स्वयं सहायता समूहों का बैंक ऋण लिंकेज 100 करोड़ रुपये को पार कर गया है। 9 मार्च को पटना में गरीब ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की सामाजिक और वित्तीय समावेशन पर बढ़ते कदम कार्यक्रम के दौरान, बिहार के 55 से अधिक प्रखंडों में फैले 14,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को रु.75 करोड़ के साथ क्रेडिट लिंक किया गया। साथ ही, जेएसबीवाई के तहत एसएचजी परिवारों से 8,112 छात्रों के बीच 90 लाख की राशि छात्रवृत्ति के रूप में वितरित की गयी। समुदाय के लगभग 2,000 सदस्य इस कार्यक्रम में मौजूद थे और कुछ ने अपने अनुभवों को भी साझा किया और आगे बढ़ने के अपने संकल्प को व्यक्त किया।

सूक्ष्म बीमा पोर्टफोलियो में भारत सरकार द्वारा समर्थित और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पोषित, आम आदमी बीमा योजना की पेशकश की। योजना को ग्रामीण गरीबों के लिए 100 रुपए की सब्सिडी प्रीमियम पर लागू किया गया है और इसे एक नोडल एजेंसी के रूप में जीविका (JEEViKA) द्वारा शुरू करने के लिए बनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2012—13 में, जेएसबीवाई के तहत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के 19,1824 बीमा का नामांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त परियोजना आसान दावा निपटान

और शिक्षा सहयोग योजना (SSY) के तहत छात्रवृत्ति राशि का लाभ उठाने के पहलुओं पर ध्यान देती है। 90 लाख की राशि एसएसवाई के तहत एलआईसी द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में वितरित की गयी थी।

2013—14 के लिए कार्य योजना

वित्तीय वर्ष 2012—13 ने वित्तीय समावेशन, आजीविका और सामाजिक विकास में नए स्तरों की प्रगति और प्राप्ति चिह्नित की। तथापि, सभी 38 जिलों में इस परियोजना के विस्तार के साथ, परियोजना ने वर्ष 2013—14 के लिए एक दो आयामी रणनीति अपनाई है, जिसका लक्ष्य नए प्रखंडों में विस्तार के उद्देश्यों को पूरा करना और पुराने प्रखंडों में उद्देश्यों को मजबूत बनाना है। चालू वर्ष को पात्रता और अभिसरण के वर्ष के रूप में चिह्नित किया गया है और इसमें सबसे कमजोर परिवारों की सामाजिक—आर्थिक सुरक्षा पर नए सिरे से ध्यान दिया जायेगा। परियोजना का विस्तार राज्य के सभी 534 प्रखंडों में होगा, और इसमें से लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र का गहन कवरेज होगा। ■



(बाएँ से) कार्यक्रम के दौरान आरडीडी सचिव अमृत लाल मीणा और ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा, तथा प्रतिभागी

मीडिया को जागरूक बनाना

एक-दिवसीय कार्यशाला द्वारा मनरेगा के लाभों के प्रति पत्रकारों को संवेदनशील बनाया गया

बिहार ने 2006 में अपने जिलों में मनरेगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, को लागू करना शुरू किया। यह ग्रामीण व्यस्क परिवारों को रोजगार/आजीविका के कम-से-कम 100 दिन प्रदान करने, स्थायी संपत्ति बनाने और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को योजना तथा स्थानीय विकास के मुद्दों पर पंचायत स्तर के निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करती है।

योजना बजट में भारी परिव्यय के कारण कार्यक्रम के लिए मीडिया का ध्यान आकर्षित करना स्वाभाविक है। पत्रकार उन हितधारकों में से हैं जिन्हें प्रमुख कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को समझने की जरूरत है। जन संचार का एक साधन के रूप में मीडिया के पास जानकारी को जमीनी स्तर पर ले जाने और शिकायतों को प्रकाश में लाने की क्षमता है।

इसलिए, मनरेगा के कार्यान्वयन की जटिलताओं से संबंधित ग्रामीण विकास की धुन के बारे में पत्रकारों को परिचित कराने के लिए पटना में एक एक-दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मीडिया आसानी से

मनरेगा की जानकारी प्राप्त कर सकती है और उसे जाँच सकती है क्योंकि यह NREGAsoft (एमआईएस) के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

इसका लक्ष्य मीडिया से संबंधित लोगों को कार्यक्रम के बारे में बताना, जमीन की वास्तविकताओं के विरुद्ध विभागीय दिशा निर्देशों, NREGAsoft के उपयोग को कवर करने के लिए उन्हें संवेदनशील बनाना, शोषित एवं अलग-थलग पड़े वर्गों की आवाज को उठाने के प्रतिनिधि बनना, तथा कार्यक्रम के लाभों को लिखित करना था।

कार्यक्रम, ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी), अमृत लाल मीणा की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। सीनियर रेजिडेंट एडिटर, एचटी मीडिया, मैमन मैथ्यूय इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। मनरेगा को कवर करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी, तथा आरडीडी अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री ने कार्यक्रम के सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने के अलावा, जमीनी स्तर पर देखी गई अनियमितताओं को नियमित रूप से उठाने एवं पारदर्शिता लाने में मीडिया की भूमिका के बारे में बात की। सचिव और उनकी टीम ने बताया कि मनरेगा कैसे विकसित हुआ और परिवर्तनों के साथ तालमेल रखने के लिए मीडिया की आवश्यकता के बारे में बताया। मीडिया आसानी से मनरेगा की जानकारी प्राप्त कर सकती है और उसे जाँच सकती है क्योंकि यह NREGAsoft (एमआईएस) के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। विभागीय दिशा निर्देशों के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए आरडीडी की वेबसाइट को भी ब्राउज किया जा सकता है।

मैथ्यू ने अपनी युवावस्था में एक पत्रकार के रूप में अपने खुद से संबंधित अनुभव बाँटे, तथा दूरदराज के क्षेत्रों से प्रासंगिक कहानियों पर प्रकाश डालकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए मीडिया की आवश्यकता पर बात की। बेरोजगारी भत्ते के वितरण, नौकरी की माँग का पंजीकरण, स्थायी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, आदि में भी मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ■

मनरेगा दिशा निर्देश पर राज्य स्तरीय कार्यशाला

मनरेगा की नई दिशा निर्देशों से संबंधित कई मुद्दों पर हाल ही में पटना में कार्यक्रम अधिकारियों की कार्यशाला में चर्चा की गई



कार्यशाला में उपस्थित (बाएँ से) सचिव, आरडीडी अमृत लाल मीणा, ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा और आयुक्त मनरेगा मिहिर कुमार सिंह

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार ने कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में, 2-3 सितंबर, 2013 को दो दिवसीय राज्य स्तरीय मनरेगा कार्यशाला का ग्रामीण विकास मंत्री, नीतीश मिश्रा, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, अमृत लाल मीणा और आयुक्त मनरेगा, मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, नए दिशा निर्देशों पर चर्चा, एमआईएस से संबंधित समस्याओं का हल करने और जिलों में निर्मित किसी भी मुद्दे से परिचित होना था।

कार्यशाला के प्रारंभ में अरविंद कुमार चौधरी, आयुक्त स्वरोजगार ने आजीविका और मनरेगा के मुद्दों को संबोधित किया। मिथिलेश कुमार सिंह, अपर सचिव ग्रामीण विकास विभाग ने पारदर्शिता और जवाबदेही, सामाजिक अंकेक्षण और मनरेगा से संबंधित शिकायत निवारण और सुधार पर अपने विचार व्यक्त किये। इस दौरान, राजीव कुमार, परियोजना अधिकारी ने संस्थागत संरचना और मानव संसाधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की, जबकि ओएसडी ए. के वर्मा, गुणवत्ता प्रबंधन और एमआईएस के बारे में प्रतिनिधियों को जानकारी दी तथा कमजोर वर्ग और श्रमिकों को संगठित करने की रणनीति पर चर्चा की। यूएनडीपी से सतीश रंजन सिन्हा ने नौकरियों तथा उनके निष्पादन के अलावा जॉब कार्ड योजना बनाने, श्रमिक बजट की तैयारी, जैसे पहलुओं पर चर्चा की। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने मनरेगा और निर्मल भारत अभियान के अभिसरण पर प्रकाश डाला। विशेष विचार-विमर्श ओएसडी के सिद्धार्थ द्वारा आईईसी और रिकॉर्ड पर, सुमित अग्रवाल, यूएनडीपी द्वारा ईएफएमएस पर, सहायक निदेशक, सीमा सिन्हा द्वारा क्षमता निर्माण पर, और ओएसडी संजय कृष्ण द्वारा इंदिरा आवास योजना पर किये गये।

इस कार्यशाला में मनरेगा के नई दिशा निर्देशों के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चर्चा की गई।

पहले दिन सदस्यों को समूहों में विभाजित किया गया और चयनित



गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुद्दों पर चर्चा करते प्रतिभागी

इस कार्यशाला का उद्देश्य, नए दिशा निर्देशों पर चर्चा, एमआईएस से संबंधित समस्याओं का हल करने और जिलों में निर्मित किसी भी मुद्दे से परिचित होना था।

विषयों पर विचार-विमर्श आयोजित किया गया। दूसरे दिन, समूहों द्वारा इन विषयों पर प्रस्तुति पेश की गई।

प्रस्तुति के विषयों में पारदर्शिता और जवाबदेही, सामाजिक अंकेक्षण सतर्कता और शिकायत, एमआईएस प्रबंधन, अभिसरण, तकनीकी प्रबंधन, पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण और वैकल्पिक कार्यान्वयन रणनीति के अलावा अन्य विषय भी थे। ■



प्रखंड कार्यालय परिसर, पटना सदर

प्रस्तावित भवन का त्रि-आयामी दृश्य,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार सरकार, द्वारा निर्माणाधीन

